



महोबा पुलिस

दिनांक- 22.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 764/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 22.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

दिनांक- 22.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 765/26

सर्किल नगर/थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस की तत्पर कार्यवाही से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में ₹51,000/- की धनराशि कराई गई वापस...।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
- इसी क्रम में आवेदक नितिन चौरासिया निवासी मलकपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा तथा शिखा सोनी निवासी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा द्वारा अपने साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के सम्बन्ध में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
- शिकायत की जांच के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/डिजिटल माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ताओं की क्रमशः ₹21,000/- व ₹30,000/- की सम्पूर्ण धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।
- अपनी पूरी धनराशि वापस प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा थाना कोतवाली नगर पर उपस्थित होकर उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।
- जनपद महोबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराध की किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित को राहत प्रदान की जा सके।

साइबर अपराध से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव-

- किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज पर OTP, ATM पिन या बैंक विवरण साझा न करें।
- सोशल मीडिया/मैसेजिंग ऐप पर आए लालच भरे ऑफर से सावधान रहें।
- ऑनलाइन लेन-देन से पहले वेबसाइट/ऐप की प्रामाणिकता अवश्य जांचें।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें एवं अपने उपकरणों में अपडेटेड सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल NCRP पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम-

1. SHO कोतवाली नगर श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. म0उ0नि0 शिवांगी प्रजापति
3. म0का0 आराधना सिंह





दिनांक- 22.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 766/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर/थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित

02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में उ0नि0 श्री रोशन गुप्ता मय हमराह का0 अजीत यादव द्वारा आज दिनांक 22.09.2026 को मु0अ0सं0 206/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आए 02 वांछित अभियुक्तों को बाँदा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. दशरथ यादव उर्फ छोटू यादव पुत्र छिहू यादव उर्फ नंना यादव, उम्र 27 वर्ष
2. बाबू यादव उर्फ रामलाल पुत्र छिहू उर्फ नंना यादव, उम्र 42 वर्ष। निवासीगण मोहल्ला विवेक नगर कबरई, थाना कबरई, जनपद महोबा।

सम्बन्धित अभियोग-

- मु0अ0सं0 206/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना कबरई, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोशन गुप्ता
2. का0 अजीत यादव





महोबा पुलिस

दिनांक- 22.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 767/26

सर्किल नगर/थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना की देखरेख में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.09.2026 को 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

प्रथम पुलिस टीम के उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र पाल मय हमराह का0 धीरेन्द्र कुमार द्वारा वारण्टी अभियुक्त विरेन्द्र सिंह उर्फ हट बाबा पुत्र बनवारी सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी, थाना खन्ना, जनपद महोबा को ग्राम ग्योड़ी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मु0अ0सं0 17/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल केस नं0 3746/2024 में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के तहत वारण्टी था। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

द्वितीय पुलिस टीम के उ0नि0 श्री नरोत्तम सिंह मय हमराह का0 राहुल कुमार व का0 प्रदीप कुमार द्वारा वारण्टी अभियुक्त श्रीपाल वर्मा पुत्र राजू वर्मा, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली, थाना खन्ना, जनपद महोबा को प्राथमिक पाठशाला बरभौली के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मु0नं0 24650/2020, धारा 138 एनआई एक्ट में माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट धारा 138 एनआई एक्ट, कानपुर नगर द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के तहत वारण्टी था। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विरेन्द्र सिंह उर्फ हट बाबा पुत्र बनवारी सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
2. श्रीपाल वर्मा पुत्र राजू वर्मा, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 17/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल केस नं0 3746/2024, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन महोबा।
2. मु0नं0 24650/2020, धारा 138 एनआई एक्ट, न्यायालय स्पेशल कोर्ट धारा 138 एनआई एक्ट, कानपुर नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र पाल
2. का0 धीरेन्द्र कुमार
3. उ0नि0 श्री नरोत्तम सिंह
4. का0 राहुल कुमार
5. का0 प्रदीप कुमार





महोबा पुलिस

दिनांक- 22.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 769/26

सर्किल चरखारी/थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब, जुआ, गांजा एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2026 को थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम के 30नि0 विशाल बाजपेई मय हमराह कां0 हर्षित मिश्रा एवं कां0 सचिन सरोज द्वारा 01 नफर अभियुक्त जगतराज अहिरवार पुत्र स्व0 महादेव अहिरवार उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा को ग्राम अकठौहा की ओर जाने वाले रास्ते पर थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जगतराज अहिरवार पुत्र स्व0 महादेव अहिरवार उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.30नि0 विशाल बाजपेई
- 2.कां0 हर्षित मिश्रा
- 3.कां0 सचिन सरोज





महोबा पुलिस

दिनांक- 22.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 770/26

सर्किल चरखारी/थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा 05 लीटर अवैध देशी शराब के साथ

01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2026 को थाना चरखारी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह हे0कां0 ज्ञान सिंह व म0कां0 नैन्सी सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्ता ओमवती पत्नी श्री मंगल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध कच्ची महुआ देशी शराब बरामद हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-208/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता:-

ओमवती पत्नी श्री मंगल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।

बरामदगी:-

05 लीटर अवैध कच्ची महुआ देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. हे0कां0 ज्ञान सिंह
3. म0कां0 नैन्सी सिंह



